Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

Original Article

दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां

Dr. Kavita Kumari
Assistant Professor, Department of History Adityanath Memorial College, Bounsi TMBU Bhagalpur
Email: kavitasingh2587@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180132
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 1(A)
Pp. 157-161
January - 2026

Submitted: 18 Dec. 2025
Revised: 28 Dec. 2025
Accepted: 13 Jan. 2026
Published: 31 Jan. 2026

शोध सारांश

अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण एक अनूठा और साहसिक प्रशासनिक कदम था, जो उसकी व्यापक नीतियों का हिस्सा था। इस नियंत्रण का उद्देश्य सिर्फ बाजार की कीमतों पर नियंत्रण रखना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उसने सैन्य, आर्थिक, और सामाजिक स्थिरता को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी जैसे समकालीन लेखकों ने उसकी बाजार नीतियों की प्रशंसा की है, जो न केवल प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा थीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक शासन नीति का अभिन्न अंग थीं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के उद्देश्यों को विस्तार से समझने के लिए हमें उसके शासनकाल के समग्र परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान देना होगा। उसकी नीतियों के पीछे छिपी दूरदर्शिता और उनके दीर्घकालिक परिणामों को समझना भी ज़रूरी है।

मुख्य शब्द : *आर्थिक नीति, प्रशासनिक बाजार नियन्त्रण, किसान, भूमि, भूमिकर।*

अलाउद्दीन खिलजी की वित्तीय नीतियां एवं राजस्व सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विकसित की गई यद्यपि आश्चर्यजनक अवश्य लगी थीं किन्तु उस काल के सामाजिक–आर्थिक इतिहास इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को बहुत प्रसिद्धि मिली। उसे अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में अपने रिश्तेदारों तथा असंतुष्ट अमीरों द्वारा किए गए विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन ने जब सत्ता संभाली राज्य की कार्य प्रणालियों विशेष रूप से जासूसी गतिविधि में सुल्तान की उदासीनता, अमीरों का सामाजिक संबंध और उनके परिवारों के बीच अंतर्विवाह, शराबखोरी और धन की बहुलता। अलाउद्दीन ने इन कारणों को दूर करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।

राज्य के धनी नागरिकों और अमीरों की दौलत पर अपना हाथ बढाया। परिष्कृत भाषा में यह कहा जा सकता है कि सुल्तान ने राज्य की राजस्व व्यवस्था और राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण सुधार की नीति अपनाई।[1] वास्तव में समायोजन के लिए राज्य की नीतियों में विशेष रूचि ली। अलाउद्दीन ने राजभूमि वे इक्ता और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जागीरों तथा भू–संपति की जबरदस्ती जब्त कर लिया, राजदरबार में सेवा कार्य के बदले में भू–दान की प्रथा को खत्म कर दिया तथा पेन्शन तथा दान की सीमा कुछ ही हजार टक तक सीमित कर दी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सेवा कार्य के बदले भूदान की प्रथा अलाउद्दीन की सरकार द्वारा पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकी। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि सभी भू–संपतियों को जब्त नहीं किया गया होगा बल्कि उनकी व्यवस्था पर सरकार नै नियंत्रण स्थापित कर लिया होगा।[2]

यद्यपि कुछ कारण हैं जो यह विश्वास दिलाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर अपनी प्रजा की बचत मुद्रा को निचोड़ने के लिए अनुचित तरीकों का भी उपयोग किया। इस विषय पर बरनी का अवलोकन अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी इस सत्य को उजागर करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की शक्तियों को नष्ट करने तथा केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए सशक्त उपाय किये। किन्तु राज्य के संदर्भ मैं अपनाये गये उपायों में उसके व्यक्तिगत कारक की झलक मिलती है, जो प्रगतिशीलता का सूचक था और जिसकी सफलता का वैकल्पिक परिणाम एक मजबूत और स्थाई केन्द्रीय सरकार के उद्भव के रूप में हुआ।

प्रांत के अमीरों तथा अन्य सरदारों से निपटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना ध्यान हिन्दू सामंत प्रमुखों की ओर केन्द्रित किया जिन्हें रईस, रावत अथवा ठाकुर वंशानुगत हिन्दू भूस्वामी कहा जाता था, तथा जिन्हें, बरनी के शब्दों में, खुत, मुकद्दम और बौधरी कहा जाता था।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
Dr. Kavita Kumari, Assistant Professor, Department of History Adityanath Memorial College, Bounsi TMBU Bhagalpur

How to cite this article:
Kumari, K. (2026). दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 157–161. https://doi.org/10.5281/zenodo.18618114

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18618114
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

प्राचीन परंपरा के अनुसार दिल्ली के सुल्तान के अधीन खेती योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर हिन्दू कृषकों (बरनी के बालाहार) का वंशगत अधिकार के रूप में नियंत्रण था। उसके ग्रामीण अधिकारियों और गांव अंशमा औजैसे–खुतों. मुकदम और चौधरी के साथ सरी व्याधी स्थिति थी. जिन्होंने सरकार के लिए भू राजस्व एकत्रीकरण अथवा दूसरे कार्यों में मध्यस्थों किया। यह उचित ही कहा गया है अथवा भी स्वाभिपने अधिकारों की सीमाओं को महसूस किया।[3] यह एक और मुस्लिम भूमि का मुस्लिम शासक था और उसे इस बात का आमास था कि हिन्दू समुदाय पर उन्हीं सिद्धान्तों पर शासन किया जा सकता है जो उन्हें पसन्द हों। इसलिये सुल्तान ने 'वंशगत हिन्दू उच्चाधिकारियों और अपनी प्रजा को उनकी पारंपरिक जीवन शैली में ही छोड़ दिया।

ये खुत, मुकद्दम और चौधरी सरकार और कृषक वर्ग की कीमत पर अपने आपको काफी मालामाल कर चुके थे। उन्होंने सरकार के लिए प्रजा से उच्च कर शुल्क (खुती) वसूले तथा इसका बहुत कम भाग ही राजकोष में जमा किया। उन्होंने राजकोष का गबन किया, कृषकों को लूटा तथा बहुत ही आरामदायक जीवन बिताया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी परिस्थिति पर काबू पाने के लिए कठोर नीति अपनाई। उसने राजस्व एकत्र करने के लिए दो नियम जारी किए। प्रथम, भू–राजस्व निर्धारण के लिये सिद्धांत के रूप में खेती योग्य भूमि के मापन के लिए 'ज़बिता' अपनाया गया। मापन के लिए मानक इकाई के रूप में बिस्वा की घोषणा की गई। राजस्व के रूप में कुल उत्पादन की आधी मात्रा निर्धारित की गई तथा यह नियम बिना किसी पक्षपात के खुतों (भू–स्वामियों) तथा कृषकों (बालाहारों) पर लागू किया गया।[4] दूसरा, एक निश्चित दर से मवेशियों पर कर राशि तय की गई और प्रत्येक परिवार से इसकी मांग की गई ताकि कोई भी पशु इस कर से न बच सके। यह नियम प्रत्येक राज्य के सभी व्यक्तियों धनी अथवा गरीब, बड़े अथवा छोटे लोगों पर लागू किया गया।

अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने राजस्व मूल्यों के आधार पर भू–मापन के नियमों (प्राचीन भारतीय प्रथाओं में से एक) का सूत्रपात किया। स्वाभाविक रूप से भू–राजस्व के लिए कुल उत्पादन का आधा हिस्सा सरकार को देना बहुत ज्यादा था, फिर भी यह अलाउद्दीन की सहज प्रकृति के अनुरुप था। सुल्तान ने खुतों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया तथा उनकी खुती अथवा कर एकत्रीकरण अधिकार को समाप्त कर दिया। उन्हें दूसरे किसानों की तरह ही लगान तथा अन्य करों को अदा करने के लिए विवश किया गया। इस विषय पर बरनी की व्याख्या स्पष्ट नहीं है, किन्तु ऐसा लगता है कि खेतों से सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खेती के अन्तर्गत ही न कि अन्य कृषकों की ओर भू–राजस्व अदा करने की अपेक्षा की जाती थी। अलाउदीन ने खतों, मुकद्दमों तथा चौधरियों की मध्यस्थता अथवा जमींदारी हैसियत को समाप्त कर दिया, जिससे परम्परागत हिन्दू भू अभिजात–तन्त्र को एक आघात पहुंचा। उसके बाद उन्होंने अपने वंशगत बिना अपने एकत्रीकरण शुल्क के ही राजस्व एकत्र का पारंपरिक व्यवसाय का निर्वाह किया होगा। बरनी के अर्थपूर्ण कथनों के प्रकाश में हमारा यह निष्का सही प्रतीत होता है।[5] बरनी कहता है कि "कर शुल्क एकत्रीकरण के लिए एक ही नियम सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया गया और व्यवस्था इस प्रकार की गई कि एक राजस्व अधिकारी करीब बीस खुतों, मुकद्दमों अथवा चौधरियों को एक साथ नियंत्रित कर सकता था।

राजस्व प्राप्ति के लिये अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था काफी दृढ़ थी। संभवतः कुछ पुराने खुतों, मुकद्दमों और चौधरियों को नई शर्तों के आधार पर राजस्व समाहर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन ने राजस्व कार्मिक के मध्य दृढ़ अनुशासन व्यवस्था कायम की। राजस्व विषय से संबंधित नियुक्त समाहर्ताओं, खुतों, लिपिकों आदि में यदि किसी प्रकार की भ्रष्टाचार प्रवृत्ति पाई जाती, तो उन्हें तत्काल ही पदच्युत कर दिया जाता था।[6] बरनी लिखता है कि *"किसी भी हिन्दू अथवा मुसलमान से घूस या बेईमानी के रूप में एक टंका भी लेने की कोई गुजांयश नहीं थी। राजस्व समाहर्ताओं और अधिकारियों पर इतनी कड़ी निगरानी बरती जाती थी कि घूस के पांच सौ अथवा पांच हजार टंका के लिए भी उन्हें कारावास में डाल दिया जाता था तथा सजा कई वर्षों तक चलती थी। कभी–कभी ऐसा समय भी आया जब वित्तीय अधिकारियों को जेल में डाला गया तथा उन्हें कोड़ों की मार तक सहनी पड़ी थी।"*

उक्त स्थिति में इतनी सच्चाई थी कि बरनी का यह अवलोकन बिल्कुल ही वास्तविक लगता है कि लोग राजस्व अधिकारियों को बीमारी से भी ज्यादा बुरा समझने लगे। लिपिकीय पद अपराध समझा जाने लगा तथा कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह किसी लिपिक से करने में झिझक महसूस करने लगा। राजकोषीय और राजस्व सुधारों को साम्प्रदायिक आभास देते है। चाहे उनकी प्रजा हिन्दू थी या मुसलमान, उसने इन नियमों को अपनी प्रजा पर निरपेक्षतः लागू किया।[8] फिर भी यह एक संयोग था कि उसके राजस्व नीति से प्रभावित लोगों में अधिकांशतः हिन्दू ही थे।

अपने राज्य का विस्तार तथा मंगोलों से इसकी सुरक्षा जैसी आकांक्षाओं ने अलाउद्दीन को विशाल सेना खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1303 में जब वह दो चक्रवातों–चित्तौड़ की घेराबंदी तथा दिल्ली पर मंगोल आक्रमण– के मध्य घिर गया तब इसकी घोर आवश्यकता महसूस की गई। अलाउद्दीन इन दोनों संघर्षों में सफल रहा, किन्तु शीघ्र ही उसने ऐसी 'विशाल स्थाई सेना स्थापित करने का विचार किया जो तीरंदाजों व नये नये उपकरणों से लैस हो तथा सिपाही तुंरत ही अपनी सेवा अर्पित करने को तैयार हो।[9] उसके सिपाही साधारण सिपाही नहीं थे, वे सल्तनत के प्यारे बच्चों के समान थे तथा उनकी विश्वस्त और दक्ष सेवाओं पर ताज की सुरक्षा निर्भर थी। भौतिक रूप से वे काफी संपन्न थे तथा सामान्य नागरिकों की तुलना में उन्हें ज्यादा आरामदायक जीवन प्राप्त था। अलाउद्दीन ने इस समस्या पर भी विचार किया कि अपने सिपाहियों के जीवन स्तर को प्रभावित किये बिना ही सामान्य वेतन पर किस प्रकार सैन्य बलों को मजबूत तथा विस्तारित किया जाये। उसके सफलतापूर्वक सैन्य कारनामों से राजधानी तथा पास के अन्य शहरों में सोने और चांदी की अत्यधिक बर्बादी हुई। इसके कारण मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई, सैन्य बलों के विस्तार तथा मुद्रा प्रचलन में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। अतः आने वाले वर्षों में सिपाहियों के वेतन में वृद्धि स्वभाविक ही थी। इसलिये यह आशंका थी कि यदि प्रतिवर्ष सिपाहियों की वेतन में वृद्धि की जाती रही तथा सैन्य बल का विस्तार किया जाता रहा तो उस समय राजकोष, जो लबालब था, पांच या छः वर्षों में बिल्कुल ही खाली पड़ जायेगा।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

सुल्तान मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि के दुष्चक्र से राज्य की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए चिंतित था। काफी सोच विचार के बाद उसने सिपाहियों को उनकी जीवन स्तर के आधार पर समूहों में श्रेणीबद्ध करके एक वेतन संरचना तैयार की। पैदल सिपाही का वेतन 78 टंका प्रति वर्ष निश्चित किया गया 26, जबकि घुड़सवार को, जिसे सरकार द्वारा एक घोड़ा प्रदान किया जाता था, दुगुणी राशि, 156 टंका निर्धारित की गई।[10] यदि घुड़सवार स्वयं का घोड़ा (याक अस्पा) रखता है उसे 78 टंका प्रति वर्ष अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। सुल्तान की इच्छा थी कि वेतन संरचना दृढ तथा स्थाई होनी चाहिये। उसके 'दूरदर्शी सलाहकारों' ने तर्क दिया कि यदि 'जीवन की आवश्यकताओं को निम्न दर पर लाया जाय तो सुल्तान द्वारा निश्चित किए गए वेतनमान पर विशाल और स्थाई सैन्य बल कायम की जाने की संभावना है।' उन्होंने पुनः तर्क दिया कि जब तक नियमन तथा नियंत्रण द्वारा अनाजों के मूल्य को कम नहीं किया जाता तब तक जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती नहीं हो हैं।
सकती इसलिये अलाउद्दीन ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने तथा लोगों को बिना किसी असुविधा के इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित लिए कई आर्थिक सुधारों की निर्धारण न तो मनमाने ढंग से किया गया और न ही मूल्य संरचना, मांग की पूर्ति के लचीलापन अथवा खराब या अच्छा मौसम अथवा व्यापारिक समुदाय की संभावित प्रवृत्ति, जो अधिकतम लाभ के लिए मूल्यों में कमी या वृद्धि करते हैं. पर आधारित थी। बदले में, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य प्रगतिशील उत्पादन लागत' के सिद्धान्त पर निश्चित किए। 29 आठ नियमनों की प्रथम श्रृंखला मक्का तथा दालों से संबंधित थी। प्रथम नियमन (ज़ाबिता) के अनुसार अनाजों के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गयेः गेहूं प्रति मन 7.5 जीतल 30, जौ 4 जीतल प्रति मन जबकि दलिया तथा नुखुद (दनीनक) जैसे धान्य 5 जीतल तथा मोठ 3 जीतल प्रतिमन।[11]

खालसा गांवों से भू–राजस्व वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया (नियमन–8)। अनाजों को सरकारी भंडारगृह में एकत्र किया जाता था तथा संकटकाल में लोगों की आवश्यकता के अनुसार निम्न दर पर बेचा जाता था। अलाउद्दीन ने उलुघ खान के एक विश्वासपात्र तथा दक्ष सेवक, मलिक काबुल को सभी अनाज बाजारों अथवा शाहना–ए–मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया। वह कई घुड़सवारों तथा पैदल सिपाहियों के साथ बाजार की निगरानी करने निकला करता था तथा उसकी सहायता के लिए कई प्रबुद्ध अधिकारीगण तथा दक्ष जासूस नियुक्त थे। विशेष व्यापार के लिए पृथक बाजार की स्थापना भी की गई थी। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण शाहाना के अन्तर्गत लाया गया जो बाजारों के मुख्य नियंत्रक के अधीन कार्य करता था। साम्राज्य के सभी अनाज गाड़ियों को शाहना–इ–मंडी के अधीन एकमात्र निगम (याक वजूद) में लाया गया।[12] व्यापारियों को पंजीकृत किया गया तथा दूर गांवों से अनाज ले आने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया।

स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने निर्धारित दर पर अनाज उपलब्ध कराने में उनकी मदद की अनाज या तो सरकारी भण्डारगृह से प्राप्त किया जाता था अथवा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। व्यापारियों को निर्धारित मूल्य के ऊपर भाडे की राशि के अतिरिक्त सामान्य लाम प्राप्त करने की अनुमति दी गई। ऐसा कहा जाता है कि व्यापारियों के लाभ का प्रतिशत इतना निम्न था कि शुरू में कुछ काफिलों ने सरकार के नियमनों को नहीं अंश इतबरनी प्रमाणित करता है कि इस प्रकार के काफिलों के मुखियों को माना। बानी कड़ कर शाहना–ए–मंडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।[13] जब तक एक सामान्य नियमन के पालन पर सहमत न हुए, उन्हें वहीं रखा गया तथा बाद में उन्हें एक दूसरे की जमानत पर छोड़ दिया गया। अनाज लाने वालों को उनके परिवारों के साथ जमुना नदी के किनारे गांवों में ठहरने की अनुमति दी गई ताकि वे सरकारी अधिकारियों की निगरानी में देश के विभिन्न भागों में अनाज पहुंचा सकें और 'सरकारी मानक' से ऊपर मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इस तरह सामान्य काल में सरकारी भंडार गृह को खोलना आवश्यक नहीं था क्योंकि काफी मात्रा में अनाज बाजार के आसपास से ही प्राप्त कर लिया जाता था। पांचवें नियमन का संबंध जमाखोरी की आकांक्षा से वस्तुओं 1 की खरीदारी एवं भंडारण के विरूद्ध वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाना था। इस नियम का प्रयोग इतनी सख्ती से किया गया कि कोई भी अनाज विक्रेता अथवा किसान या कोई अन्य एक या आधा मन भी अनाज छुपा कर जमा नहीं कर सकता था और न ही निर्धारित मूल्य से एक डांग अथवा एक दीराम अधिक राशि पर बेच सकता था।[14] यदि गुप्त रूप से जमा किया गया अनाज पाया जाता तो इसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था तथा जमाखोर को अर्थदण्ड देना पड़ता था।

बाजार दरों पर वस्तुओं के विनियमनों से संबंधित प्रतिदिन की जानकारी सुल्तान को तीन स्रोतों–बाजारों के नियंत्रक, बारीदों तथा मुशियों से प्राप्त होती थी। 36 इन जानकारियों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता पाई गई तो सुल्तान द्वारा अपराधी को कड़ी सजा दी जाती थी। बरनी के अनुसार मूल्यों का निर्धारण का पैमाना मौसम के निरपेक्ष जब तक सुल्तान जीवित रहा, कायम किया गया। उस समय बाजारों में अनाजों के अपरिवर्तित मूल्य को एक आश्चर्य जनक घटना माना गया। 37 बरनी एक घटना के बारे में कहता है कि एक सूखे मौसम के दौरान, जब बाजार के एक शाहना (मलिक काबुल नहीं) ने एक या दो बार यह सूचना दी कि अनाज का मूल्य आधा जीतल बढ़ गया, तो उसे 20 कोड़े मारे गए। 38 हालांकि फरिश्ता लिखता है कि इस शासन के दौरान मूल्य बिल्कूल स्थिर रहे. किन्तु पानी की कमी से जब अकाल आया तब भिन्नता परिलक्षित हई। यह समझना बहुत कठिन है कि व्यवहार में एक असाधारण परियोजना को अपने उद्देश्य में विफल हुए बिना कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। यह योजना न पहले कभी थी और न ही बाद में कभी लाई गई किन्तु विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस राजतंत्र के शासनकाल में शुरू से अंत तक यह योजना कायम रही।"39

आठवें नियमन का सबंध सूखे अथवा अकाल की स्थिति में अनाजों के नियंत्रित वितरण से था। सरकारी भंडार गृह से प्रत्येक दिन राजधानी के हर मोहल्ले के लिये अनाज की एक निश्चित मात्रा स्थानीय अनाज विक्रेताओं मन अनाज लेने की अनुमति दी गई। निकटवर्ती गांव के लोग भी निर्धारित दर पर अनाज खरीदने दिल्ली आते थे। अभाव की स्थिति में यदि किसी गरीब अथवा निर्धन व्यक्ति को बाजार में उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती थी और शादि सुल्तान को इसका पता चलता तो बाजार के प्रभारी को फटकार मिलती श्री स्वाभाविक रूप से सूखा और अभाव की स्थिति में भी अलाउद्दीन के शासनकाल मे हमें भुखमरी और अकाल की सूचनायें नहीं मिलतीं। ऐसा सरकार के कुशल आर्थिक सुधारों तथा बाजारों पर सख्त नियंत्रण के

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

कारण ही संभव हुआ। बरनी का कहना न्यायोचित है कि 'वास्तव में यह उस समय की आश्चर्यजनक घटना थी और कोई भी दूसरा शासक इसे लागू नहीं कर पाया।

कपड़ों तथा किराना सामानों के मूल्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने नियमनों की दूसरी श्रृंखला जारी की।[15] राजधानी के बदाउं दरवाजे के नजदीक काफी दिनों से बेकार पड़े विस्तृत मैदान को इन वस्तुओं के क्रय–विक्रय के लिए खुले बाजार में परिवर्तित किया गया, जिसे सराय अदल कहा गया। इस बाजार में एक भाग को कपड़े, छोटे सामानों तथा निर्मित कपड़ों के विनिमय के लिए पृथक कर दिया गया। इसमें कपड़ा बाजार भी था जो राईस परवाना (अनुमति अधिकारी) के अधीन था। राजधानी में उपस्थित सभी भारतीय अथवा विदेशी व्यापारियों से इस बाजार में कपड़ा लाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने की अपेक्षा की गई। अनाज विक्रेताओं की तरह कपड़ा विक्रताओं के निगम का गठन किया, उनके नाम राय परवाना के कार्यालय में पंजीकृत किए गये और यह प्रतिबंधित किया गया कि वे कहीं से भी राजधानी के बाजार में निर्द्धिष्ट मात्रा में कपड़ा बेचने के लिए लायेंगे। निम्न स्तर के कपड़े तथा सिले–सिलाए कपड़े उत्पादन लागत के सिद्धांत पर आधारित सामान्य मूल्य पर बेचे जाते थे। किन्तु उत्तम प्रकार के सूती, सिल्क तथा अभिजात वर्गों के लिए आरामदायक पोशाक के मूल्य के साथ यह सिद्धांत लागू नहीं होता था। राजधानी में इस प्रकार की वस्तुओं की आमतौर पर अधिक मांग होती थी, चूंकि इन वस्तुओं का विशिष्ट उत्पादन कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा बंगाल में होता था जो राजधानी से काफी दूर अवस्थित थे, इसी कारण से इन वस्तुओं की लागतें काफी ऊंची होती थीं। इसलिये अभिजात वर्गों के लोगों के लिये इन वस्तुओं को अनुदानित दर पर बेचा गया।[16] मुल्तानी व्यापारियों ने, जो कपड़ा व्यापार में दक्ष थे, देश के विभिन्न भागों से महंगी वस्तुएँ लाने के लिए एक अवसर पर बीस लाख टंका ऋण के रूप में लिया तथा दिल्ली में इन वस्तुओं को प्राप्त मूल्य से भी कम पर बेचा। साधारणतया इन व्यापारियों ने सरकार के कमीशन एजेंट के रूप में कार्य किया और इस विनियम में सभी प्रकार की हानियां राजकोष द्वारा वहन की गईं। ऐसी परिस्थिति के कारण इन वस्तुओं की खरीददारी का नियंत्रित वितरण किया गया। वस्तुओं की निर्धारित मात्रा की खरीद के लिए अभिजात वर्गों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार राईस परवाना द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया। फरिश्ता लिखता है कि राजधानी से उच्च स्तर के कपड़ों और सिल्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि शिल्प व्यापारियों द्वारा दिल्ली से कम मूल्य पर इनकी खरीद तथा दूसरी जगह ऊंचे मूल्य पर इनकी बिक्री पर नियंत्रण लाया जा सके। फरिश्ता लिखित प्रमाण है कि साधारण नागरिकों को घर पर उच्च श्रेणी के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, इसके लिये सुल्तान से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी जो सिर्फ 'राज सेवा कार्य में लगे लोगों को प्राप्त थी।

नियमनों की तीसरी श्रृंखला का संबंध सजीव संपत्तियों, घोड़ों और मवेशियों तथा दासों के क्रय तथा विक्रय से था। सैनिकों के लिए अनुमोदित बेहतर घोड़ों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के घोड़ों के मूल्य क्रमशः 100 से 120, 80 से 90 तथा 65 से 70 टंका निर्धारित किये गये। सामान्य उपयोग के लिए एक साधारण टट्टू की कीमत मात्र 20 टंका थी। सरकार ने कड़ी निगरानी बरती कि व्यापारियों द्वारा दूर स्थानों से लाये गये अच्छी नस्ल के घोड़े स्थानीय थोक विक्रताओं को नहीं बेचे जा सकें ताकि ऐसे विक्रेता उन्हें दूसरों को न बेच सकें और न ही वे व्यापारी व्यक्तिगत ग्राहकों को उन्हें दूसरी बार बेचकर ज़्यादा कीमत वसूल सकें या दलाल का काम कर सकें। सरकार ने श्रेष्ठ घोड़ों की खरीद के लिए स्थानीय विक्रेताओं और धनी व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की। इस प्रकार का संपूर्ण व्यापार निर्धारित बाजार मैं ही किया गया जिसका आवधिक अवलोकन स्वयं सुल्तान ने किया।[17] सैन्य बल में इसकी उपयोगिता के कारण घोड़ों को होमोसेपियन्स (मानव जाति) की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया। घोड़ों के क्रय विक्रय में कई कपटी व्यक्ति भी शामिल थे।' फरिश्ता लिखता है कि घोडों के कई व्यापारियों, जिन्होनें सरकारी नियमनों को चुनौती दी. को या तो मौत की सजा दी गई कर राजधानी से बाहर निष्कासित कर दिया गया। या उन्हें चाबुक मार भैंसों, गायों, बैलों, ऊँटों, बकरियों, भेडों, गधों और सभी घरेलू मवेशियों क्रय–विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की सीमा में ही किया गया। दिल्ली के मामलुक सुल्तानों ने युद्ध में पकडे गये कैदियों को दास बनाने की प्रथा का लिए निरंतर चले युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसलिये देश में पुरुष और महिला दासों की बहुतायत थी, जिन्हें मवेशियों की तरह नाम मात्र मूल्य पर खरीदा तथा बेचा जाता था। बरनी के अनुसार दासी लडकी का मूल्य 5 से 12 टका निर्धारित था जबकि रखैलों के लिये 20 से 40 टंका था। युवा लडके की कीमत 20 से 30 टंका थी, जबकि श्रमिक दासों का मूल्य 10 से 15 लड़के की एक के बीच था। उपभोक्ता वस्तुएं एवं घरेलू दास इतने सस्ते थे कि टंका प्रति आय वाला व्यक्ति, उदाहरण के लिए अलाउद्दीन के सेना का घुड़सवार भी, एक से चार पत्नियां, कई रखैलों तथा दर्जनों दास दासियों, श्रमिकों के साथ विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकता था।

साम्राज्य के सभी साधारण बाजारों का क्षेत्र, दीवान–ए–रियासत– बाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता था। नज़ीर का कार्यालय, नाप–तोल का अधीक्षक, इसका एक भाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व नज़ीर मलिक याकूब को दीवान–ए–रियासत के रूप में नियुक्त कर इस मंत्रालय को सक्रिय बनाया। मलिक याकूब एक ईमानदार व्यक्ति था। यद्यपि वह एक अच्छा प्रशासक था, किन्तु वह अपनी निर्दयता तथा कट्टरपन के लिए भी जाना जाता था।[18] अनाज बाजारों के नियंत्रक, मलिक काबुल और राजधानी के कपड़ा बाजार के प्रमुख, रईस परवाना सहित विभिन्न बाजारों के सभी शहनाओं का नियंत्रण मलिक याकूब को सौंपा गया। इस प्रकार साम्राज्य में सर्वत्र आर्थिक नियमनों की क्रियान्वयन की सफलता का दायित्व दीवान–ए–रियायत पर आ गया। उसके कार्यालय की मर्यादा और अधिकार को उन्नत करने के उद्देश्य से याकुब को मुहतासिब बना दिया गया 'जिसे लोगों की नैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण' करने का अधिकार प्राप्त था। आर्थिक नियमनों को चुनौती देने वालों के लिए कानून में कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई। याकूब ने तानाशाह के रूप में इन सजाओं का प्रयोग कर नियमनों को चुनौती देने वालों के दिल में भय पैदा कर दिया। समी शहनाओं को प्रमुख वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदान की गई थी जबकि ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्राधिकार की अनिर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य उसी पैटर्न पर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया हो। उन्होंने बाजार का विस्तृत दौरा किया तथा अपराधी दुकानदारों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया। मलिक याकूब ने राजधानी के बाजारों में खलबली मचा दी तथा व्यापारिक गतिविधियों पर हमेशा कडी निगरानी बरकरार रखी। नियमनों के अनुपालन से संबंधित जरा सी

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

असावधानी के लिए उसने क्रेताओं अथवा विक्रेताओं, भारतीय व्यापारियों तथा विदेशी कारवाँ प्रमुखों तक को भी नही बक्शा तथा अपराधी को कठिन से कठिन दंड दिये गये। सुल्तान ने स्वयं अपने दास लडकों तथा नौकरों को दुकानदारों के पास यह जांच करने के लिए भेजा कि गरीब और गंवार व्यक्ति दुकानदारों के पासही ठगे तो नहीं जा रहे। दुकानदार यदि अपराधी पाया जाता तो उसके काल्हों से मांस काट लिया जाता था। सुल्तान की आज्ञा पर निरीक्षकों द्वारा कुल्लाने दौरों पर किये जाने वाले अत्याचार का जीवन्त विवरण हम इन शब्दों में करते हैंः "इस प्रकार के दंडों की सुनिश्चितता के कारण व्यापारियों में ईमानदारी बनी रही। वे कम तोलने तथा बेईमान हरकतों से बचते थे।[19] वे वस्तु को पूरा वजन में देते थे, और कभी–कभी तो खरीददारों को वस्तुओं का ज्यादा वजन मिलता था।

इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वस्तुओं के मूल्य काफी कम थे, जीवन की आवश्यक वस्तुएं और खाद्य सामग्रियाँ भी पर्याप्त मात्रा में सहज उपलब्ध थीं। व्यापारिक समुदाय द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी और धोखाधड़ी तथा दलालों द्वारा शोषण जैसी कुरीतियों का कहीं नामोनिशान नहीं था। भू–सुधारों और सामाजिक–आर्थिक नीतियों के कुछ मामलों में अलाउद्दीन ने शेरशाह सूर का पूर्वाभास दिया। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रगतिशील और धर्म–निरपेक्ष राज्य के बीज समाहित थे, जिनसे दो–तीन पीढ़ियों तक राज्य में शांति और स्थिरता कायम रही तथा साम्राज्य करीब दो शताब्दियों तक फला फूला।

संदर्भ–सूची

1. बरनी, तारीख–ए–फ़िरोज़ शाही, सैयद अतहर अब्बास रिजवी, खिलजीकालीन भारत, (1260–1320) (अनु.) मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1955, पृ. 178
2. फ़रिश्ता (ब्रिग्स), आई. पी. 195.
3. वही, पृ.–179
4. बरनी, तारीख–ए–फ़िरोज़ शाही, पूर्वोद्धृत, पृ. 179.
5. के. एस. लाल, खिलजियों का इतिहास (1290–1320): इलाहाबाद, 1950, पृ. 243.
6. बरनी, तारीख ए फ़िरोज़ शाही, पृ. 179–80.
7. ज. एल. मेहता, मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास, भाग–3, जवाहर
8. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2016, पृ.–134
9. लईक अहमद, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शारदा पुस्तक भवन इलहाबाद, 2011, पृ.–193
10. बरनी, तारीख–ए–फ़िरोज़ शाही, पूर्वोद्धृत, पृ. 182.
11. जे. एल. मेहता, पूर्वोद्धृत, पृ. 135
12. के. एल. खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2013, पृ.–57
13. बरनी, तारीख–ए–फिरोज शाही, पूर्वोद्धृत, पृ. 192.
14. वही., पृ. 192–97.
15. मोहम्मद हबीब और डॉ. (श्रीमती) अफसर खान, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक सिद्धांत (बरनी के फतवा–ए–जहाँदारी के इंजी.), किताब महल, इलाहाबाद, पृ. 35.
16. ज. एल. मेहता, पूर्वोद्धृत, पृ. 137
17. वही पृ.–138
18. फ़रिश्ता पृष्ठ 204
19. बरनी द्वारा उद्धृत दरें हैंः चादर (साधारण चादरें): 10 जीतलः लंबा कपड़ा, मोटा, प्रति 40 गजः 1 टंका (स्लिवर); लंबा कपड़ा, बारीक, प्रति 20 गजः 1 टंका (स्लिवर)।
20. फ़रिश्ता (ब्रिग्स), पृष्ठ 203.